अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 136/2012

महेश कुमार सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3452 दिनांक 18.10.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 05.09.12 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3972 दिनांक 27.06.12 के आलोक में मो0 रार्शाद आलम विशेष कार्य पदाधिकारी एवं मिथलेश कुमार सिंन्हा पणन पदाधिकारी मुख्यालय (सचिवालय) पटना के द्वारा संयुक्त रूप से महेश कुमार सिंह, ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति 26/07 पंचायत बकवा प्रखंड पानापुर के व्यपार स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः– 1. विक्रेता की दूकान सें संबंद्ध बी0पी0एल0 नया कूपनधारी उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि उन्हे कूपन प्राप्त है पर एक भी बार उन्हे खाद्यान्न नही मिला है। 2. विक्रेता की दूकान सें संबंद्ध बी0पी0एल0 नया कूपनधारी उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि उन्हें माह जून से अगस्त के बीच सिर्फ दो बार 20 किलो अनाज 150 रू0 लेकर आपूर्ति की गई है। 3. विक्रेता की दूकान सें संबंद्ध किरासन तेल कूपनधारी उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि 2.5 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति कर 45 रू0 की वसूली की जाती है।	

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3105 दिनांक 24.09.12 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा अपने ज्ञापांक 3452 दिनांक 18.10.12 के द्वारा विक्रेता की अनु0 रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी मो0 रशीद आलम के द्वारा विक्रेता की दूकान का निरीक्षण ही नहीं किया गया हैं। जॉच के दिन दिनांक 05.09.12 को विक्रेता अपने दूकान पर उपस्थित थे एवं उनके द्वारा पॉच उपभोक्ताओं को किरासन तेल वितरित किया गया है। विक्रेता की दूकान से संबंधित सभी बी0पी0एल0 उपभोक्ता वर्ष 2011–12 से लगातार संबद्ध है। नया कोई भी उपभोक्ता उनकी दूकान से नहीं जुडा है, और प्रत्येक उपभोक्ता को लगातार खाद्यान्न का वितरण किया गया है। विक्रेता के द्वारा वर्ष 2012–13 में कूपन वितरण के बाद माह जून का बी0पी0एल0 खाद्यान्न का राज्य खाद्य निगम मशरख से 05.07.12 को उठाव किया गया एवं 09.07.12 से 11.07.12 तक वितरण किया गया है। माह जुलाई के बी0पी0एल0 खाद्यान्न का उठाव दिनांक 27.07.12 को किया गया एवं दिनांक 01.08.12 से 02.08.12 तक वितरण कार्य किया गया है। माह अगस्त के खाद्यान्न का 01.09.12 को उठाव किया गया एवं दिनांक 07.09.12 से 08.09.12 तक वितरण किया गया है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का वितरण कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल विक्रेता के द्वारा आचरण किया गया। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के

परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3452 दिनांक 18.10.12) में कई कमियॉ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा में कहीं भी विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ता का नाम अंकित नहीं है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के संबंध में स्पष्ट विवरणी कारण पृच्छा में अंकित की जाए। इसके बिना कारण पृच्छा अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ अभिलेख को रिमांड किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध करायी जाए, पुनः नये सिरे से कारण पृच्छा किया जाए, विक्रेता को सुनवाई का एक मौका दिया जाए एवं इस आदेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 501 /दिनांक 04/8/15/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री मो0 खालिद, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

04/8/15